लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल – 462021

दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651

ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

/ /आदेश/ /

भोपाल, दिनांक 14.07.2009

क्रमांक/स्था–1/राज/पी/72/2009/955 : लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 23.03.2007 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निम्नलिखित व्याख्याताओं की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई थी । विभागीय जांच सत्यापित नहीं होने अथवा विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त होने की स्थिति के सत्यापन उपरांत बंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा अनुसार उक्त व्याख्याताओं को प्राचार्य, हाईस्कूल के पद पर वेतनमान रूपये 6500–200–10500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है । पदोन्नति उपरान्त उनकी पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शाई संस्था में निम्नानुसार की जाती है :–

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था/ जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामपाल सिंह	AR 2925	शा. उत्कृष्ट उमावि. बागचीनी मुरैना	शा. हाईस्कूल गुरैमा मुरैना	23020766602

2) उक्त हाईस्कूल प्राचार्य की वरिष्ठता आदेश दिनांक 2.4.07 में निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित होगी । उपरोक्त पदोन्नत प्राचार्यो को दिनांक 2.4.07 से "काम नहीं दाम नहीं" के आधार पर नोशनल पे फिक्सेशन कर वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया जावें ।

3) पदोन्नति उपरान्त पदांकन संस्था हेतु भारमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि प्राचार्य पद पर जो व्याख्याता पदोन्नत हो रहे हैं , उनके विरूद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण / जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो या ऐसी शास्ति न हो जो उनकी पदोन्नति में बाधक हो। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उन्हें भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को अपने प्रस्ताव सहित अवगत करावें । इस कार्यवाही हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगें ।

4) *(अ)*पदोन्नत प्राचार्य द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो उसे 12 वर्ष बाद प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त होता रहेगा परन्तु 24 वर्ष पश्चात मिलने वाली क्रमोन्नति की सुविधा का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–1/ 1/वेआप्र/99 दिनांक 05 जुलाई 2002/23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा ।

(ब) पदोन्नति का परित्याग मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम–2002 की कण्डिका 6(15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने के दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति की उद्भूत होने तक जो भी पश्चात्वर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

(स) पदोन्नति का परित्याग करने पर भी पदोन्नत व्याख्याता को पदांकित संस्था में ही प्राचार्य हाईस्कूल के रूप कार्यभार ग्रहण करना होगा । किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन नवीन पदस्थापना वाली संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही विचार किया जाएगा ।

5) नव पदोन्त प्राचार्य दिनांक **21.07.2009** तक पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगें । जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **31.07.2009** तक संचालनालय को प्रेषित की जाएगी । निर्धारित दिनांक **21.07.2009** तक पदांकित संस्था में यदि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो कर्त्तव्य का अपालन मानते हुए उसके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण (अपील वर्गीकरण नियंत्रण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

6) पदोन्नत प्राचार्यो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में विकल्प प्राप्त कर किया जावें ।

7) प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र–21 सन् 1994) तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियमों तथा नियमों उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

8) म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश

पृ0क. / स्था–1 / राज / पी / 72 / 2009 / 956 भोपाल, दिनांक 14.7..2009

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर,
4. कलेक्टर जिला मुरैना म.प्र.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना म.प्र.
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुरैना म.प्र.
7. कोषालय अधिकारी मुरैना म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि आदेश में अंकित पदोन्नत प्राचार्य का अगस्त माह का वेतन पदोन्नत पूर्व संस्था से आहरित नहीं किया जाना है, उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
8. सहायक संचालक, स्थापना–2 (स्थानीय)
9. संबंधित – प्राचार्य,
10. संबंधितजन –

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश